मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 107

01.12.2025 को उत्तर के लिए

पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए अवैध खनन की रोकथाम

107. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में अवैध खनन से पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर क्षति पहुँच रही है, जिससे वनस्पति, वन्यजीव एवं भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अवैध खनन को रोकने एवं पर्यावरणीय संतुलन को पुनर्स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पाँच वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान दर्ज अवैध खनन के मामलों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार एवं जिला-वार, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु नई योजना या नीति लागू करने, अवैध खनन के विरुद्ध कठोर कदम उठाने एवं स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके सम्बन्ध में संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) खान मंत्रालय द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत अधिसूचित खनिज रियायत नियम 2016 में, अवैध खनन को परिभाषित किया गया है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग के अनुसार, राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण और उससे जुड़े मामलों को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसलिए, अवैध खनन को रोकना संबंधित राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी

प्रमुख खनन राज्यों ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग के तहत नियम बनाए हैं। इसके अलावा, राज्यों ने टास्क फोर्स भी बनाए हैं, जिन्हें अवैध खनन को नियंत्रित करने और अवैध खनन संबंधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सदस्य विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा हेतु विशेष रूप से गठित किया गया है।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जो दिनांक 12 जनवरी, 2015 से लागू हुआ, जिसमें धारा 30 ख और 30 ग, धारा 21 और 23 ग के साथ पठित में, अन्य बातों के साथ-साथ, अवैध खनन से निपटने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान बनाए गए हैं। अवैध खनन को कारावास की सजा के साथ दंडनीय बनाया गया है, जिसमें कारावास की अवधि पांच साल तक हो सकती है और जुर्माने की राशि प्रति हेक्टेयर क्षेत्र पाँच लाख रुपये तक हो सकती है। अवैध खनन से संबंधित अपराधों की त्वरित सुनवाई की व्यवस्था करने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। खान मंत्रालय ने आईबीएम के माध्यम से अक्टूबर 2016 में खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) शुरू की है। एमएसएस प्रणाली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और पट्टेशुदा सीमा से बाहर 500 मीटर तक के क्षेत्र की निगरानी के माध्यम से अवैध खनन की संभावित घटनाओं का पता लगाती है। उत्पन्न ट्रिगर राज्य सरकारों को सत्यापन और आगे की कार्रवाई के लिए भेजे जाते हैं।

खान मंत्रालय ने दिनांक 03.10.2023 को प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों को लौह अयस्क और अन्य खनिजों की ग्रेड के गलत वर्गीकरण को तकनीक का उपयोग करके रोकने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग के तहत राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों में उक्त दिशानिर्देशों को उपयुक्त रूप से शामिल करके उन्हें लागू करें। उक्त दिशानिर्देशों में खनिजों के सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के दौरान ट्रैकिंग के लिए जीपीएस, आरएफआईडी, जियो-फेंसिंग, ब्लॉक चेन तकनीक जैसी तकनीकों के इस्तेमाल की बात कही गई है, जिनमें ग्रेड्स की स्वयं-घोषणा, परिवहन वाहनों का ट्रैकिंग, चालान मिलान का स्वचालन, आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खनिजों के खनन के कारण पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, जिसे समय-समय पर सामान्य और विशिष्ट शर्तों के साथ संशोधित किया जाता है जो पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी का हिस्सा है, के उपबंधों के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता को अनिवार्य करना शामिल है।

उपरोक्त के अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संरक्षण और बहाली के लिए कई स्कीमों को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। इनमें जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) शामिल है, जिसका उद्देश्य वन और गैर-वन परिदृश्यों में वनीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना है। नगर वन योजना (एनवीवाई) वनों को अवक्रमित और अतिक्रमण से बचाने के लिए, शहरी क्षेत्रों में हरित स्थान बनाने पर विशेष ध्यान देता है। "स्कूल नर्सरी योजना" छात्रों को पौधों की जैव विविधता के लिए प्रशंसा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में कार्य में लगाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारत की तटरेखाओं पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी

प्रणाली को बहाल करने के लिए "तटीय पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल" (मिष्टी) शुरू की है। "एक पेड माँ के नाम" अभियान के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण कार्यकलाप शुरू किए हैं। साथ ही, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत धन का उपयोग वनीकरण पहल सहित वन और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए किया जाता है। सामूहिक रूप से इन उपायों से पर्यावरणीय स्थिरता और जैव विविधता संरक्षण में सहयोग प्राप्त होता है।

महाराष्ट्र राज्य भूविज्ञान और खनन निदेशालय (डीजीएम) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) खान मंत्रालय (एमओएम) द्वारा बीआईएसएजी-एन से प्राप्त तकनीकी सहायता से विकसित एक स्वचालित प्लेटफॉर्म है, जो अवैध खनन गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए विशुद्ध रूप से सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट-सेंसिंग विश्लेषण के आधार पर ट्रिगर उत्पन्न करता है। राज्य के डीजीएम ने यह भी सूचित किया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने प्रमुख खनिजों और खनिज उत्पादों के कब्जे, भंडारण, व्यापार और परिवहन को विनियमित करने और रॉयल्टी या सिग्नियर एज शुल्क की चोरी को रोकने तथा राज्य में अवैध खनन और परिवहन को रोकने, **महाराष्ट्र खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण नियम) नियम, 2001** के रूप में नियम बनाए थे, जो दिनांक 16 जून 2001 को लागू हुआ था। महाराष्ट्र राज्य सरकार पारिस्थितिक संरक्षण, अवैध खनन (विशेष रूप से रेत) पर सख्त कार्रवाई और समुदाय-स्तरीय जागरूकता के लिए नए नियमों और कार्यक्रमों के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। वर्ष 2024-2025 के दौरान कई ठोस नीतियों/उपायों की घोषणा या प्रकाशन किया गया और वर्ष 2025-26 के दौरान इनका कार्यान्वयन/विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिनांक 08.04.2025 को एक रेत नीति 2025 तैयार की है, जो नदी रेत खनन को कम करने के लिए निर्मित रेत (एम-सैंड) को बढ़ावा देती है, ग्राम-पंचायत स्तर पर अनुमति/उपयोग को परिभाषित करती है, और इसमें रेत निष्कर्षण को नियमित और निगरानी करने के उपाय शामिल हैं। रेत नीति प्रावधान, जिला अध्यादेश (उदाहरण के लिए, जून 2025), वन विभाग एसओपी और 10-करोड़ वृक्षारोपण अभियान वर्ष 2025 में जारी किए गए थे और पूरे वर्ष 2025 के दौरान कई कार्रवाई (कानूनी कार्यवाही, लाइसेंस परिवर्तन) हुई हैं।

महाराष्ट्र राज्य के डीजीएम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, लघु खनिज के लिए अवैध खनन से संबंधित कुल 43,966 मामले दर्ज किए गए और वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक महाराष्ट्र राज्य में 5896 प्राथमिकी दर्ज की गईं। महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक वर्ष वार लघु खनिज मामलों, दर्ज की गई प्राथमिकी और अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक -1** में दिया गया है।

***

अनुलग्नक 1

महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक अवैध खनन के लिए वर्ष-वार लघु खनिज के मामलों और उस पर लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा (महाराष्ट्र राज्य के डीजीएम के अनुसार)

क्रम सं.	वर्ष	मामले	राशि लाख रूपए में	प्राथमिकी
1	2019-20	10363	9332.19	988
2	2020-21	10845	10119.90	1149
3	2021-22	8031	18892.20	2490
4	2022-23	5902	8170.91	470
5	2023-24	8825	11643.97	799